


पक्षकारों एवं अभिभाषक
आदि के हस्ताक्षर



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 7259-216

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

/2016 जिला दतिया

जयेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० फेरन सिंह

रावत

निवासी रामनगर कॉलोनी दतिया म०प्र०

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ

स्टाम्पस दतिया म०प्र०

.....अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 64/सी-132/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2016 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

19.12.16 माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

1. यह कि , अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा आवेदक के प्रकरण में जो आदेश दिनांक 07/12/2016 को पारित किया गया है वह अवैध अनूचित एवं विधि के अपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया के न्यायालय में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 17/03/2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि क्रेता श्री रिकू ना० बा० पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद, अभिषेक ना० बा० पुत्र व संरक्षक राजू पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाटव निवासी अम्बेडकर कॉलोनी डबरा तह० डबरा जिला ग्वालियर द्वारा विक्रेता श्री रामलाल , कडोरी पुत्रगण श्री बिरखे , उदयमान , कंदू उर्फ कन्हैयालाल , गोटीराम छोटेलाल उर्फ छोटे

श्री कृष्ण सिंह कुशवाह
द्वारा आज दि. 19-12-16 को
प्रस्तुत

819

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(कुंवर/पिंडार/कांटे
(23 वां केस)

19/12/16

V. Singh



— 2 —

16/3/18

आवेदन को जोर से
 उपरोक्त नहीं है, पूर्व पेशा
 पर इनके कठिनायका को सुकर
 किंद सुभावाह उपरोक्त
 काफ समय-समय पर लीन का
 कावाजें मशवाहें बाह । उल्लेख
 कदम पेशी में सेकाए विमा
 जाला है, कठिनायका को लीन कावे

एक

उपरोक्त पा. नि. ही

[क. प. उ.]

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.